न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 47 / 2024

बउनवान

मदनलाल उम्र 70 वर्ष पुत्र श्री पन्नालाल, जाति मीणा निवासी गुदरावनी, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज०

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां (राज०)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 17.01.2025

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 15.03.2024 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम गुदरावनी तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 403 रकबा 0.20 है., किस्म–गैर मुमकिन बेहड़ भूमि पर अतिक्रमी मानकर 320/–रूपये अर्थदण्ड एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। इसलिये निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नितान्त असत्य तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र गवाहान के बयान भी नहीं लिये मात्र हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी मानकर सजायाब किया है जबकि अपीलांट ने उक्त वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट ने ताबान राशि भी जमा करवा दी है तथा उक्त भूमि मौके पर खाली पड़ी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.03.2024 प्रकरण संख्या 94/2024 निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:07:12 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नही रहा है, और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र गवाहान के बयान भी नहीं लिये मात्र हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी मानकर सजायाब किया है जबकि अपीलांट ने उक्त वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.03.2024 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में संवत 2079 फसल रबी में उक्त भूमि पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 111/2023 निर्णय दिनांक 17.03.2023 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 403 रकबा 0.20 है0 किस्म गै.मु. बेहड़ ग्राम गुदरावनी पर सम्वत् 2079 फसल रबी में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 111/2023 में पारित निर्णय दिनांक 17.03.2023 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 94/2024 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:07:12 IST
Reason: SelfAttested